तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए
16/7/19	पत्रावली आज पेश हुई। वादी अधिवक्ता के सहायक अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। बहस हेतु समयाभाव अवसर चाहते है अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस बाबत स्थगन दिनांक 7/8/19 को पेश हो। [signature]	
7/8/19	पत्रावली पेश हुई, पत्रावली में वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं, पत्रावली में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर वादी अधिवक्ता को सुना गया, अधिवक्ता प्रतिवादी को सुना जा चुका है एवं अवलोकन पत्रावली पर उन्हें दिया जाता है। पत्रावली दि0 14/8/19 को पेश हो। [signature]	
14/8/19	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, तथा मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार खाता का अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से किया जाता। डिक्री तैयार का आवश्यक की गई। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर अभिलेख में जमा हो। [signature] 14/8/19 सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 19/2016

1. हीरालाल आत्मज स्व0 बागा रेबारी निवासी आमल्दा तहसील बेगूँ

.....वादी

बनाम

1. थाना आत्मज बागा रेबारी निवासी आमल्दा तहसील बेगूँ
2. जोधा आत्मज बागा रेबारी निवासी आमल्दा तहसील बेगूँ
3. बक्षु आत्मज बागा रेबारी निवासी आमल्दा तहसील बेगूँ
4. बालूलाल आत्मज शंकर रेबारी निवासी आमल्दा तहसील बेगूँ
5. कमला पुत्री शंकर रेबारी निवासी आमल्दा तहसील बेगूँ
6. सजना पुत्री शंकर रेबारी निवासी आमल्दा तहसील बेगूँ
7. मु.प्यारी बेवा शंकर रेबारी निवासी आमल्दा तहसील बेगूँ
8. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय जी चित्तौडगढ राज॰

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित : एस.एन. ईनाणी
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक : 14.08.2019

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 53.88.188 राज.काश्त.अधि. 1955

वादपत्र वादी कि ओर से अधिवक्ता श्री एस.एन. ईनाणी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है : कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,3 सगे भाई होकर स्व0 बागा जी रेबारी के पुत्र है। हमोर एक ओर भाई स्व0 गरवा जी थे जिनका व उनकी पत्नी मु0 कवरीबाई का भी स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 4,5,6 स्वर्गीय शंकर के पुत्र एवं पुत्रीयॅा होकर प्रतिवादी संख्या 7 उनकी पत्नी है। हमारा वंश वृक्ष निम्न प्रकार से है :–

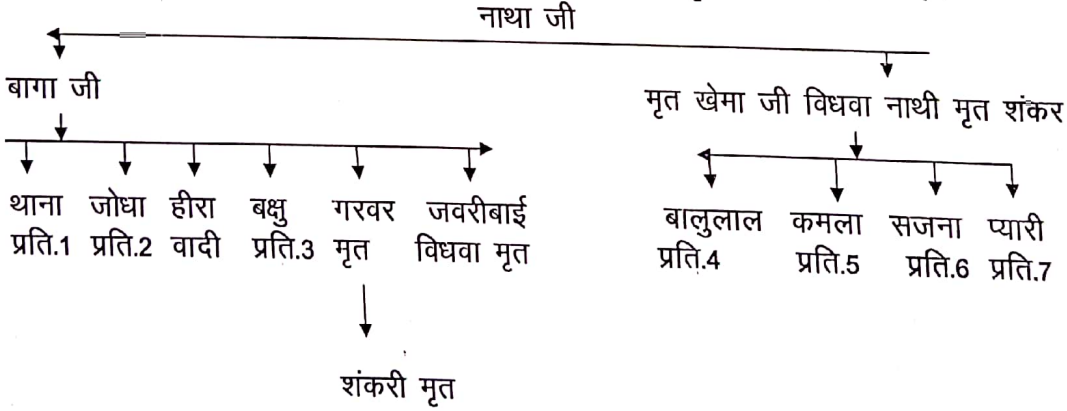

ग्राम आमल्दा तहसील बेगूँ में निम्न लिखित आराजीयात स्थित है जो स्व0 बागाजी की होकर उनकी विधवा जवरीबाई एवं उनके स्वर्गीय पुत्र गिरवर जी एवं उनकी स्व0 पत्नी शंकरीबाई एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के खातेदारी की होती हैं हमारी माता जवरीबाई व हमारे भाई भोजा है गरवरजी व शंकरीबाई का स्वर्गवास हो गया है स्व0 गरवर जी व शंकरीबाई ने जीवनभर मुझ वादी के साथ रहे और उनका सारा अंतिम कियाकर्म जाति व धार्मिक रिती रिवाज से मुंझ वादी ने ही किया जिससे उनके हक व हिस्से का में ही हकदार हू और रेकार्ड में शंकरीबाई मृतक के बजाए अपने आपको उसके हिस्से का खातेदार घोषित कराने का अधिकारी हूँ। इस प्रकार इन आराजीयात में 2/5 हिस्सा मेरा व 1/5–1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्यार 1 से 3 का प्रत्येक का होता है आराजीयात खाता संख्या 59 में स्थित है:

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner

क.सं.	आराजी नं.	रकबा
1	539	0.100
2	540	1.6600
3	876/540	1.5400
किता 3	रकबा	3.2100 हे0

इसी प्रकार ग्रम आमल्दा तहसील बेगूँ में खाता संख्या 164 पर निम्नलिखित आराजीयात सिथत है जो हमारी पुश्तैनी होकर 1/2 हक बागाजी का व 1/2 हक स्व0 खेमाजी का था। श्री खेमाजी के पुत्र शंकर एवं विधवा नाथीबाई का स्वर्गवास हो जाने से उनके स्थान पर उनके वारिस प्रतिवादी संख्या 4,5,6,7 का नाम अंकित हुआ है क्योंकि शंकरजी की विधवा प्यारीबाई है। इस प्रकार उपर्युक्त आराजीयात में 1/2 हक व हिस्सा स्व बागाजी के वारिसान का व 1/2 हक व हिस्सा स्व0 खेमाजी के वारिसान का होने से मुझ वादी के हिस्से में मेरा व स्व0 गरवर जी का हक व हिस्सा मिला कर 2/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4,5 ,6 व 7 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा बनता है। वर्तमान रेकार्ड में गिरवर जी की पत्नी शंकरीबाई का नाम भी अंकित है जिनका स्वर्गवास हो चुका है और गिरवर जी व शंकरीबाई जीवनभर मेरे ही साथ रहे और मेने ही उनके सारे जातीय व धार्मिक कियाकर्म किये जिससे शंकरीबाई के बजाय अपने आप को खातेदार घोषित कराने का अधिकारी हुँ। यह आराजियात खाता संख्या 164 में स्थित है।

क.सं.	आराजी संख्या	रकबा
01	551	0.1000
02	553	0.4300
03	554	0.0600
04	557	0.3100
05	558	0.2300
कुल किता 5	रकबा	1.1300 हे0

कि उपयुक्त वर्णित आराजीयात में खाता नं0 59 की आराजीयात स्व0 बागाजी की है एवं खाता सं0 164 में स्थित आराजीयात में स्व0 बागाजी का 1/2 हक है उसमें से स्व0 गिरवर जी पुत्र बागाजी एवं उनकी पत्नी शंकरी बाई के हक व हिस्से का में अपने आप को खातेदार घोषित कराने का अधिकारी हुँ जिससे खाता नं0 59 में वर्णित आराजीयात में मेरा 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बनता है एवं खाता संख्या 164 पर स्थित आराजीयात में मेरा 2/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का प्रत्येक का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4,5,6,7 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा बनता है।

यह की उपर्युक्त आराजीयात पर हम पक्षकारान आपसी सहमति और सहुलियत से मोके पर अपने अपने हक व हिस्से के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है किन्तु मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन नही हुआ है जिससे मोके पर अनावश्यक विवाद होते है जिससे आराजीयात का मोके पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन करा कर हिस्से अनुसार अच्छी से

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

अच्छी व बूरी से बूरी जायदाद प्रत्येक पक्षकार के हिस्से में रखने व इसी के अनुसार रेकार्ड में भी अलग अलग अंकित कराना आवश्यक हो गया है।

यह की मे वादी निसंतान अकेला व्यक्ति हु जिसका नाजायज लाभ उठाकर प्रतिवादी सं0 3 मुझे अनावश्यक रूप से जलील व परेशान करना चाहता है और मेरे हिस्से के आराजीयात पर जबरन कब्जा कर लेने व मेरी फसल बर्बाद कर देने की धमकिया देता है। मेने अपने हिस्से की आराजीयात में वर्तमान में मक्का व बाजरा (चरी पशुओ के लिए) बो रखी है जिसे वह नष्ट करने की धमकी दे रहा है जिससे प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना जरूरी है कि वह वादी के हक व हिस्से की आराजीयात में स्वयं एवं अपने परिजनों व हमराहियों से कोई दखलअंदाजी नही करे, और न ही करावे। अन्यथा वादी को अपूरणीय क्षति होंगी व वादी बर्बाद हो जाएगा।

यह कि बिनाय दावा दिनांक 28.07.2010 से शुरू होती है जबकी प्रतिवादीगण को आपसी सहमति से आराजीयात के विभाजन हेतु आग्रह किया किंतु उन्होने कोई संतोष जनक उत्तर नही दिया जो प्रतिदिन हो रही है।

वादी की प्रार्थना है कि :

1. पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण यह घोषित फरमाया जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 2.ए में वर्णित है। खाता संख्या 59 की आराजी नं0 539,540,876/540 कुल किता 3 रकबा 3.2100 हे0 में वादी का 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का प्रत्येक का कमशः 1/5– 1/5 हिस्सा घोषित फरमाया जावे एवं वाद पत्र की चरण संख्या 2 बी में वर्णित खाता संख्या 164 पर स्थित आराजी नं0 551,557,554,553,558 कुल किता 5 रकबा 1.1300 हे0 में वादी का 2/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का प्रत्येक का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4,5,6,7 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा घोषित फरमाया जावें।
2. कि उपर्युक्त वर्णित आराजीयात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन कराया जाकर अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी में उपर्युक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार पक्षकराना को अलग अलग कब्जा कराया जावें और उसी के अनुसार रेकार्ड में भी अलग अलग अंकन फरमाया जावे।
3. प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी के हक व हिस्से की आराजीयात में स्वयं अथवा अपने परिजनो व हम राहियों से कोई दखलअंदाजी नही करावे व वादी को बेदखल नही करे।
4. खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।
5. अन्य सहायता जो मुफीद वादी हो और न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवाया जावे।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कि ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री राजसिंह चुण्डावत द्वारा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 कि ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत द्वारा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 एवं 7 न्यायालय में उपस्थित आए जिन्होने विभाजन किये जाने हेतु सहमति जाहिर की। शेष प्रतिवादी संख्या 5,6 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 3 कि ओर वादपत्र का जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः कि ग्राम आमल्दा तहसील बेगूँ में नवीन खाता संख्या 59 एवं 164 मूल

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

पुरूष बागा जी के खातेदारी की थी जिनकी मृत्यु होने के बाद उक्त दोनो खाते का विरासती इन्तकाल बागा जी की मृत्यु के बाद जवरीबाई के नाम पर एवं जवरीबाई की मृत्यु के बाद विरासत का इन्तकाल नम्बर 676 दिनांक 09.09.2009 वादी एवं प्रतिवादी नं0 1,2,3 एवं इनके स्व0 भाई गरवर की पत्नी शंकरी बाई के नाम पर खोला गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के सगे भाई स्व0 गरवर की मृत्यु पर उनके दाह संस्कार कियाकर्म आदि प्रतिवादी संख्य 3 ने स्वयं ने किये व मौसर के वक्त समाज वाले इकठ्ठा हो पगडी बंधवाई और उपस्थित समाज के मौतबिर व्यक्तिाये की उपस्थिति में ही शंकरी बाई ने अपनी सहमती दे कर प्रतिवादी संख्या 3 को अपना गोदपुत्र बनाया । उस वक्त सभी कार्यो के बदले प्रतिवादी संख्या 3 को नवीन खाता संख्या 59 में से गरवर जी का सम्पूर्ण हिस्सा 67.2 आरी जगह कब्जे में दी तब से लेकर आज दिनांक तक प्रतिवादी संख्या 3 ही उक्त आरीजयात पर काबिज हो काश्त कर रहा है। व अभी वर्तमान में सभी लगान जमा कराया व फसले मक्का, मुगफली उडद प्रतिवादी संख्या 3 ने पैदाकर काटी है जिससे स्पष्ट है कि स्व0 गरवर जी के हिस्से की आराजीयात पर वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण का कब्जा नही है।

प्रतिवादी नं. 1 व 2 एवं वादी ने प्रति.नं. 7 से मिलकर धोखे से बिना प्रतिवादी नं. 3 को जानकारी दिये विरासत का खाता शंकरीबाई की मृत्यु के उपरान्त इन्तकाल नं0 718 दिनांक 5.08.2010 को संयुक्त रूप से वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 से 3 के बराबर बराबर हक से खुलवा लिया जो निरस्त योग्य है। अन्य विवरण अपने जवाबदावा व काउण्टर क्लेम में प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी सं. 3 द्वारा अपने काउन्टर क्लेम में निवेदन इस प्रकार से किया है:

1. कि वादी ग्राम आमल्दा के नवीन खाता नं. 59 एवं 164 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी के कब्जे में दखल अन्दाजी नही करे न अन्य किसी से करावें। न फसलें नष्ट करें।
2. यह कि वादी एवं अन्य प्रतिवादी नं. 1,2 के नाम पर गलत खुला इन्तकाल नं. 718 को निरस्त फरमाया जावें।
3. यह कि इन्तकाल नं. 718 के आधार पर गलत वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 का नाम खाते में आ जाने से व उन्हें बेचने, विक्रय, बेचान, बक्शीश आदि नहीं करने हेतू पाबन्द फरमाया जावें। व विकल्प में दौराने वाद उक्त आराजीयात विक्रय कर देना पाया जावे तो प्रतिवादी नं. 7 को रेकार्ड व खाते को रद्धोबदल नहीं किये जाने हेतू मूल वाद प्रतिवाद के निस्तारण तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। एवं अन्य उचित दाद जो मुफित हो प्रतिवादी नं. 3 को वादी से दिलाई जावें।

पत्रावली में वादी की ओर से प्रतिवादी सं. 3 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम आमल्दा के खातासंख्या 59 एवं 169 की आराजीयात मुझ वादी, प्रतिवादी संख्या 1,2 ,3 व हमारे स्वर्गीय भाई गरवरजी की पत्नी शंकरीबाई के नाम खोला गया जो सही है। श्रीमती शंकरीबाई व स्व0 गरवरजी जीवनभर मुझ वादी के साथ ही रहे और उनका सारा अंतिम किया करम जाति व धार्मिक रिति रिवाजों से मुझ वादी ने ही किया जिससे उनके हक व हिस्से का मे ही हकदार व काबिज हूँ और रेकार्ड में भी शंकरीबाई के बजाए अपने आपको उसके हिस्से का खातेदार घोषित कराने का अधिकारी हूँ।

काउण्टरक्लेम की चरण संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है स्व0 गरवर जी की मृत्यु पर उनका दाहसंस्कार कियाकर्म आदि प्रतिवादी सं0 3 द्वारा करने की बात पूर्णतया मिथ्या मनगढन्त व काल्पनिक है और मौसर भी मुझ वादी ने किया । मौसर के वक्त प्रतिवादी सं0 3 बक्षु को पगडी बंधाने व शंकरीबाई द्वारा सहमति देने व अपना गौदपुत्र बनाने की बात पूर्णतया मिथ्या एवं काल्पनिक है,एव

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जैतूँ (सिरोही)

Scanned by CamScanner

शंकरीबाई के हिस्से पर प्रतिवादी सं0 3 का काबिज होना एवं काश्त करने की बात भी पूर्णतया गलत है। प्रतिवादी सं0 3 का पुत्र ताकत के बल पर आराजीयात हडपना चाहते है जिससे यह मिथ्या कथन किया है। मेरी निजी आराजीयात में भी प्रतिवादी सं0 3 व उसके पुत्रों ने हस्तक्षेप करना चाहा जिससे मैने उनके विरूद्ध न्यायालय आपमें स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसका मुकद्मा नम्बर 68/10 होकर डिक्री हो चुकी है। मेरे द्वारा व प्रतिवादी संख्या 1,2 द्वारा प्रतिवादी सं0 7 शंकरीबाई का इन्तकाल संयुक्तरूप से वादी व प्रतिवादी सं0 1,2,3 के बराबर हक से खुलवाने का प्रश्न ही नहीं है। अपितु यह धोखाधडी प्रतिवादी सं0 1,2,3 ने मेरा हक हडपने की बदनियति से किया है जिससे उक्त इन्तकाल निरस्त किया जाकर शंकरीबाई के हक पर मेरा नाम अंकित होना चाहिऐं।

वादी द्वारा काउण्टर क्लेम के जवाब में प्रतिवादी सं0 3 के पगडी बंधने एवं शंकरीबाई की भूमि पर कब्जाकाश्त उनका होने की बात का खण्डन करते हुए एवं प्रतिवादी सं0 3 को गोदपुत्र रखे जाने के कथन को मिथ्या बताते हुए प्रस्तुत काउण्टरक्लेम को मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाने का निवेदन अपने जवाब में किया है।

वाद पत्र का जवाब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत करते हुए, गरवर की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी संख्या 3 को गोद लिया जाने व अपने स्वर्गीय पति की अन्तिम इच्छा को पुरी करने के लिए सामाजिक रितिरिवाज एवं कर्मकाण्ड द्वारा विधिवत रूप से प्रतिवादी सं. 3 को गोद रखने व दत्तकग्रहण की सभी औपचारिकता पूर्ण किये जाने का उल्लेख किया है। अपने जवाब दावे में अंकित किया है कि श्रीमती शंकरी बाई की वर्ष 2000 में मृत्यु के पश्चात उसकी एवं उसके पति की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति के मालिक प्रतिवादी संख्या 3 हो गये है, तथा पिछले 30 वर्षो से प्रतिवादी वसंख्या 3 ही गरवर की कृषि भूमि पर खेती कर शांतिपूर्ण निर्बाध तरिके से उपयोग उपभोग कर रहा है। वादी द्वारा कभी भी शंकरीबाई की सेवा आदि नहीं किया है, वादी द्वारा केवल मात्र वाद का आधार तैयार कराने की गरज से अपने वादपत्र में कथन अंकित किये है। वाद पत्र को खारिज किये जाने का कथन अपने जवाब वाद में किया है। वादी द्वारा उक्त जवाबदावे का जवाबुल जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी की है कि उपरोक्त तथ्यों के खण्डन करते हुए जवाबबुल जवाब को रेकार्ड पर रखाने का निवेदन किया है।

पत्रावली में वाद पत्र का जवाबदावा एवं काउण्टरक्लेम तथा काउण्टरक्लेम का जवाब प्रस्तुत होने पर निम्न तनकी कायम की जाकर शामिल पत्रावली की गईः–

1. आया कि वाद पत्र की चरण सवंख्या 2 में वर्णित खाता संख्या 59 की आराजी संख्या 539,540,876/540 कुल किता– 3 रकबा 3.2100 हैक्टर भूमि में वादी का 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1,2,3 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा घोषित करा पाने व वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित खाता संख्या 164 पर स्थित आराजी नं0 551,553,554,557,558 कुल किता–5 कुल रकबा 1.1300 हैक्टर भूमि में वादी का 2/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1,2,3 का प्रत्येक का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4,5,6 व 7 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा घोषित कराने व उपरोक्त हिस्सा अनुसार आराजीयात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन कराकर हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी से प्रत्येक पक्षकार करा पाने के वादी अधिकारी है? वादी
2. आया कि वादी के निःसन्तान होने से प्रतिवादी सं0 3 उसे अनावश्यक रूप से जलील व परेशान करना चाहता है और जबरन कब्जा कर लेना व फसल बर्बाद करने की धमकियॉ देता है जिससे उसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

जरूरी है कि वे वादी के हिस्से में कोई दस्तान्दाजी नहीं करें, इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के वादी अधिकारी है? वादी

3. आया कि प्रतिवादी सं0 3 का स्वर्गीय गरवर जी की पत्नि ने अपना गोदपुत्र बनाया और गरबर जी का हिस्सा कब्जे दिया है? प्रतिवादी सं. 3
4. आया कि गरवर जी का प्रतिवादी सं0 3 गोदपुत्र है और उनके हिस्से का इन्तकाल अपने नाम खुलाने का अधिकारी है? प्रतिवादी सं. 3
5. दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र तैयार होने के उपरान्त पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादीगण के बयान कलमबद्ध कराये जाकर वाद पत्र का निर्णय दिनांक 15.02.2012 को निम्न प्रकार से किया गया :

" अतः वाद वादी का अ0धा0 53–88–188 राज0 काश्तकारी अधिनिम का एवं प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है।"

दावा पत्र में उक्त निर्णय होने के उपरान्त वादी द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय में किए जाने पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उनके निर्णय दिनांक 15.07.2015 से निम्न आदेश पत्रावली में पारित किया गया :

" अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.02.2012 अपास्त किये जाते है और वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 3 को ग्राम आमलदा के खाता संख्या 59 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 539, 540, 876/540 कुल किता 3 रकबा 3.21 हैक्टर तथा खाता संख्या 164 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 551, 553, 554, 557, 558 कुल किता 5 रकबा 1.13 हैक्टर में बागाजी के हिस्से का संयुक्त खातेदार घोषित कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार बेगूँ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि विभाजन नियम 18 से 21 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के न्यायालय में प्रस्तुत करें। कमिश्नर शुल्क 500/–वादी अदा करें। डिक्री पर्चा जारी हो। "

पत्रावली में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ के निर्णय की पालना में वाद वर्णित आराजीयात का विभाजन वाद एवं प्रतिवादीगण के मध्य किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाते हुए विभाजन प्रस्ताव पत्रावली में चाहे गये। तहसीलदार, बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 567 दिनांक 14.08.2019 के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक वृत बिछोर, नक्शाट्रेस 2 प्रति में एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये,पत्रावली में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिन्होने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है।

अतः वाद वादी का अ0धा0 88–53–188 आर.टी.एक्ट का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा आमलदा प.ह.नंदवाई की आराजी का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

1. श्री हीरा पिता बागा रेबारी निवासी आमलदा खातेदार के हिस्से:

आ.नं.	रकबा	किस्म	लगान
551	0.100	चा. 2	2.78
557 मेसे	0.040	चा. 2	1.12
540 मेसे	0.415	चा. 3	7.68
876/540	0.385	बीड	0.95
योग–4	0.940 हैक्टर		12.53

2. श्री थाना जोधा पिता बागा हि0ब0 2/15 बक्षु पिता बागा 13/15 रेबारी सा0देह खातेदार के हिस्से :

आ.नं.	रकबा	किस्म	लगान
540 मेसे	0.090	बीड	0.22
540 मेसे	1.155	चा. 3 (0.305)	5.66
		जा. 3 (0.74)	6.85
		बीड (0.11)	0.27
876/540 मेसे	1.155	बीड	2.85
योग–3	2.400 हैक्टर		15.85

3. श्री बाबूलाल कमला सजना पिता शंकर प्यारी बेवा शकर हि0ब0 4/7 थाना जोधा पिता बागा हि0ब0 3/14 बक्षु पिता बागा 3/14 रेबारी सा0देह खातेदार के हिस्से :

आ.नं.	रकबा	किस्म	लगान
553	0.430	चा. 2	11.19
554	0.0.60	बा. 2	0.37
557 मेसे	0.270	चा. 2	7.49
558	0.230	चा. 2	1.39
		जा.2	2.45
योग–4	0.990 हैक्टर		23.65

आराजी नं. 551,557, 876/540 रास्ते पर स्थित है।आ.नं. 540 के प्रस्तावित विभाजित खसरा नम्बरो में जाने हेतु वादी व प्रतिवादी सं. 3 बक्षु की आवंटित आराजी 857/540 व 1052/891 में मौके पर रास्ता निकला हुआ है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सहमत है। आराजी नं0 539 चाह है जो पूर्वानुसार रहेगा।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता पृथक पृथक दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

14/8/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 57/2016

हीरालाल आत्मज स्व0 बागा रेबारी निवासी आमल्दा तहसील बेगूँ

.....वादी

बनाम

1. थाना आत्मज बागा रेबारी निवासी आमल्दा तहसील बेगूँ
2. जोधा आत्मज बागा रेबारी निवासी आमल्दा तहसील बेगूँ
3. बक्षु आत्मज बागा रेबारी निवासी आमल्दा तहसील बेगूँ
4. बालूलाल आत्मज शंकर रेबारी निवासी आमल्दा तहसील बेगूँ
5. कमला पुत्री शंकर रेबारी निवासी आमल्दा तहसील बेगूँ
6. सजना पुत्री शंकर रेबारी निवासी आमल्दा तहसील बेगूँ
7. मु.प्यारी बेवा शंकर रेबारी निवासी आमल्दा तहसील बेगूँ
8. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय जी चित्तौडगढ राज.

.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी. धाकड़ की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 188,92 ए आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 14. 08. 2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिकी निम्न प्रकार से दी जाती है :–

अतः वाद वादी का अ0धा0 88–53–188 आर.टी.एक्ट का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा आमलदा प.ह.नंदवाई की आराजी का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1. श्री हीरा पिता बागा रेबारी निवासी आमलदा खातेदार के हिस्से:

आ.नं.	रकबा	किस्म	लगान
551	0.100	चा. 2	2.78
557 मेसे	0.040	चा. 2	1.12
540 मेसे	0.415	चा. 3	7.68
876/540	0.385	बीड	0.95
योग–4	0.940 हैक्टर		12.53

2. श्री थाना जोधा पिता बागा हि0ब0 2/15 बक्षु पिता बागा 13/15 रेबारी सा0देह खातेदार के हिस्से :

आ.नं.	रकबा	किस्म	लगान
540 मेसे	0.090	बीड	0.22
540 मेसे	1.155	चा. 3 (0.305)	5.66
		जा. 3 (0.74)	6.85
		बीड (0.11)	0.27
876/540 मेसे	1.155	बीड	2.85
योग–3	2.400 हैक्टर		15.85

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

3. श्री बाबूलाल कमला सजना पिता शंकर प्यारी बेवा शकर हि0ब0 4/7 थाना जोधा पिता बागा हि0ब0 3/14 बक्षु पिता बागा 3/14 रेबारी सा0देह खातेदार के हिस्से :

आ.नं.	रकबा	किस्म	लगान
553	0.430	चा. 2	11.19
554	0.0.60	बा. 2	0.37
557 मेसे	0.270	चा. 2	7.49
558	0.230	चा. 2	1.39
		जा.2	2.45
योग–4	0.990 हैक्टर		23.65

आराजी नं. 551,557, 876/540 रास्ते पर स्थित है।आ.नं. 540 के प्रस्तावित विभाजित खसरा नम्बरो में जाने हेतु वादी व प्रतिवादी सं. 3 बक्षु की आवंटित आराजी 857/540 व 1052/891 में मौके पर रास्ता निकला हुआ है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सहमत है। आराजी नं0 539 चाह है जो पूर्वानुसार रहेगा।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता पृथक पृथक दर्ज किया जावें।

अंतिम डिकी आज दिनांक 14.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मृद्रा से जारी की गई है।

14/8/19

(रमेश चंद्र पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner